



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092023-248824
CG-DL-E-19092023-248824

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3951]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 19, 2023/भाद्र 28, 1945

No. 3951]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 19, 2023/BHADRA 28, 1945

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2023

का.आ. 4118(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा 'उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण' (पैन AAALU0121E), उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकरण, उस प्राधिकरण को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

- राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान;
- भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों, चल और अचल के निपटान से प्राप्त धन;
- भूमि, भवन और अन्य संपत्तियों, चल और अचल के निपटान से किराए और शुल्क या किसी अन्य शुल्क के माध्यम से प्राप्त धन;
- निविदा शुल्क, दस्तावेज शुल्क, लाइसेंस शुल्क से अर्जित आय; और
- बैंकों में जमा की गई निधियों और उपर्युक्त (क) से (घ) पर अर्जित ब्याज;

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण: -
- (क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
- (ख) वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधियों और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; तथा
- (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।
3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2023-2024 के लिए लागू मानी जाएगी जो वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए संगत है।
- [अधिसूचना सं. 78/2023 फा. सं. 300196/22/2022-आईटीए-1]
विकास सिंह, निदेशक (आईटीए-1)

स्पष्टीकरण ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2023

S.O. 4118(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority' (PAN AAALU0121E), an Authority constituted by the State government of Uttar Pradesh, in respect of the following specified income arising to that Authority, namely:

- (a) grants received from the state government;
- (b) moneys received from the disposal of land, building and other properties, movable and immovable;
- (c) moneys received by way of rent & fees or any other charges from the disposal of land, building and other properties, movable and immovable;
- (d) Income earned from Tender Fees, Document Fees, License Fees; and
- (e) Interest earned on funds deposited in the banks and on (a) to (d) above.
2. This notification shall be effective subject to Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority:-
- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
3. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment year 2023-2024 relevant for financial year 2022-2023.

[Notification No. 78/2023 F.No.300196/22/2022-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director (ITA-I)

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.